



उत्तर प्रदेश जल निगम

प्रधान कार्यालय: 6, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ - 226001

पत्रांक : 143 / 2042-0506 / 17

दिनांक : 1/08/2017

सेवा में

मुख्य अभियन्ता(क्षेत्रीय)

उ० प्र० जल निगम।

झांसी/इलाहाबाद/कानपुर/मुरादाबाद/वाराणसी/फैजाबाद/आगरा/गाजियाबाद/गोरखपुर/लखनऊ।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य पेयजल योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत 159 योजनाओं हेतु धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य ग्रामीण पेयजल योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत 159 योजनाओं, स्वीकृत लागत रु० 33606.01 लाख के सापेक्ष विभिन्न शासनादेशों के अनुसार अवमुक्त रु० 11586.34 लाख की धनराशि उ० प्र० जल निगम को अवमुक्त की गई है।

राज्य ग्रामीण पेयजल योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत 159 योजनाओं के कार्यों हेतु प्राप्त धनराशि रु० 11586.34 लाख प्रधान कार्यालय के कार्यालय ज्ञाप सं.-211/2313-0001/बजट/2016-17 दिनांक 31.03.17 द्वारा क्षेत्रों को अवमुक्त कर दी गई है। कृपया संबंधित जनपदों को संलग्न विवरण के अनुसार धनराशि तत्काल अवमुक्त करने का कष्ट करें।

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	कुल प्रस्तावित धनराशि (रु० लाख में)
1	आगरा	1074.55
2	इलाहाबाद	1400.88
3	फैजाबाद	2921.27
4	गाजियाबाद	315.66
5	गोरखपुर	178.59
6	झांसी	208.81
7	कानपुर	1311.22
8	लखनऊ	386.28
9	मुरादाबाद	1576.83
10	वाराणसी	2212.25
	योग	11586.34

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(आर० एम० त्रिपाठी)
मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण)

पृ० सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ प्रेषित :-

1. प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० जल निगम, लखनऊ।
2. मुख्य लेखाधिकारी, उ० प्र० जल निगम, लखनऊ को उनके कार्यालय ज्ञाप सं.-211/2313-0001/बजट/ 2016-17 दिनांक 31.03.17 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
4. अधीक्षण अभियन्ता(ग्रामीण-1), उ० प्र० जल निगम, लखनऊ।
5. अधिशासी अभियन्ता(ई०डी०पी०सेल), उ० प्र० जल निगम लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे जल निगम की वेब-साइट पर डलवाने का कष्ट करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण)

